ई-मेल से

परिपत्र संख्या - वि0अनु0शा0/ 2022-23/ 490 / कम्प्युटर परिपत्र संख्या / 2223012 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)
दिनांक: 25 मई, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1,
अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक / कॉर्पोरेट),
उपायुक्त / सहायक आयुक्त,
राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक: 21-05-2022 को सम्पन्न डेस्कटॉप कॉन्फ्रेसिंग बैठक में प्राप्त निर्देश के क्रम में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से "चाणक्य साफ्टवेयर" पर उपलब्ध संविदाकारों को भुगतान एवं टी0डी0एस0 का विवरण प्राप्त किया गया है।

प्राप्त सूचना को जोनवार वर्गीकृत करते हुए जोनल अपर आयुक्त की ई-मेल पर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पंजीकृत संविदाकारों द्वारा लोक निर्माण विभाग से प्राप्त भुगतान के समतुल्य आपूर्ति का टर्नओवर GSTR-3B में प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक जनपद में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के डिवीजन के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से भी सूचनाएं एकत्र करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जाए। प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कृत कार्यवाही का विवरण निम्न प्रारूप में वि0अनु0शा0 अनुभाग, मुख्यालय की ई-मेल **आई0डी0: ctsibhqlu-up@nic.in** पर उपलब्ध कराया जाए -

जोन का नाम　　　　　　माह / वर्ष:　　　　　　(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	संविदाकारों की प्रेषित संख्या	लो0नि0वि0 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि	कॉलम - 3 में अंकित संविदाकारों द्वारा प्रदर्शित आपूर्ति की धनराशि	अंतर धनराशि [कॉलम (4-5)]	आरोपित कर	वसूली की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2018-19						
2	2019-20						
3	2020-21						
4	2021-22						

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

25/5/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन, पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश